

## कार्यालय जिला कलक्टर (रसद) नागौर

क्रमांक रसद/एफ.पी.एस./विज्ञप्ति/2018/628  
संशोधित विज्ञप्ति

दिनांक:- 08 अगस्त 2018

इस कार्यालय की विज्ञप्ति क्रमांक 450 दिनांक 08.06.2018 के द्वारा जिले में रिक्त/नवसृजित उचित मूल्य दुकानों के लिए दुकानदार चयन हेतु विज्ञप्ति जारी कर दिनांक 13.07.2018 तक आवेदन पत्र आमन्त्रित किये गये थे। तत्पश्चात् संशोधित विज्ञापित क्रमांक 546 दिनांक 18.07.2018 में आवेदन प्राप्त करने की अन्तिम तिथि 31.07.2018 सांय 5.00 बजे तक बढ़ाई गई थी, में आंशिक संशोधन करते हुवे उचित मूल्य दुकानों के लिए आवेदन पत्र प्राप्त करने की अन्तिम तिथि 31.07.2018 के स्थान पर 15.09.2018 सांय 5.00 बजे तक बढ़ाई जाती है। निश्चित तिथि एवं समय पश्चात् आवेदन पत्र किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किये जायेगे। अन्य शर्तें यथावत रहेगी।

जिला कलक्टर (रसद)  
नागौर

क्रमांक/सम/2018/629

दिनांक : 08 अगस्त 2018

प्रतिलिपि :- सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

1. श्रीमान प्रमुख शासन सचिव, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग राजस्थान, जयपुर।
2. श्रीमान अति. खाद्य आयुक्त, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग राजस्थान, जयपुर।
3. श्रीमान उपायुक्त एवं उपशासन सचिव, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग राजस्थान, जयपुर।
4. श्रीमान सांसद महोदय, नागौर।
5. श्रीमान विधायक, नागौर/खीवसर/जायल/लाडनूं/डीडवाना/नावां/मकराना/परबतसर/डेगाना/मेड़ता
6. उपनिदेशक, सूचना प्रौद्योगिक एवं संचार विभाग नागौर को जिले की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
7. उपखण्ड अधिकारी नागौर/खीवसर/जायल/लाडनूं/डीडवाना/कुचामन/नावां/मकराना/परबतसर/डेगाना/मेड़ता/रियांबड़ी
8. विकास अधिकारी पंचायत समिति.....(समस्त) को भेजकर लेख हैं कि आप उक्त सूची पंचायत समिति के नोटिस बोर्ड एवं संबंधित ग्राम पंचायत मुख्यालय पर स्थित अटल सेवा केन्द्र पर चस्पा करवाना सुनिश्चित करें।
9. जिला सूचना एवं जन सम्पर्क अधिकारी नागौर को लोकहित में सम्पूर्ण नागौर जिले के समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशनार्थ
10. प्रवर्तन अधिकारी/निरीक्षक समस्त जिला नागौर।
11. प्रबंधक, खाद्य नागरिक आपूर्ति निगम लि. नागौर।
12. सम्पादक राजस्थान पत्रिका/दैनिक भास्कर/दैनिक नवज्योति।
13. रक्षित पत्रावली।

जिला कलक्टर (रसद)  
नागौर